भारतसरकार Government of India
रेलमंत्रालय Ministry of Railways
रेलवेबोर्ड(Railway Board)

RBA No.26/2023
GST Circular No. 08/2023
11th August, 2023

No. 2018/AC-II/1/57(M&P) E-Office No. 3326180

The General Managers,
All Zonal Railways and Production Units
Including all Attached Offices.

Sub : IRFC-GST Issue.

Ref:- Budget Grant for FY 2023-2024.

In the current financial year since there is no Budgetary allocation for meeting expenditure funded by IRFC, Zonal Railways and Production Units must ensure that existing Vendors of Indian Railways bill IR against the existing contracts. In the past also, Indian Railways have been requesting the Contractors to prepare their invoices based upon the fund availability of the sanctioned Budgetary Allocations.

IRFC vide their recent email message has brought out that there are several instances of Invoices being raised by vendors that are in the name of IRFC and using the IRFC GST credentials. This may result in potential revenue loss for IR. These invoices are getting reflected in the GSTR-2A/2B of IRFC.

Therefore, Zonal Railways/Production Units may conduct an immediate review and take immediate action to obtain a credit note in the name of IRFC and simultaneously, issue a revised invoice in the name of IR, to ensure that the GST is populated in the GST portal of IR.

Action may be taken to ensure that all the procurement made by IR is billed by vendors in the name of the concerned Bill accepting Authorities only, using IR's GST credentials, so that IR continues to avail the Input Tax Credit as available from time to time.

Compliance on this may be reported by 25th August, 2023.

This may be treated as 'Most Urgent'.

(Vipul Tripathi)
Director/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. PFAs of all Zonal Railways and Production Units;
2. EDFB, Railway Board
3. All EDs, ED level Empowered Committee, Railway Board;
4. All Directors, Director level GST Cell, Railway Board;
5. MD, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi
6. CMD, IRFC, New Delhi.

भारत सरकार/Government of India

रेल मंत्रालय/Ministry of Railways

(रेलवे बोर्ड/Railway Board)

आरबीए सं. 26/2023

जीएसटी परिपत्र सं. 08/2023

सं.2018/एसी-II/1/57 (एम एंड पी) ई-ऑफिस सं. 3326180 दिनांक 11 अगस्त, 2023

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां

सभी संबद्ध कार्यालयों सहित ।

<u>विषय : भा.रे.वि.नि-जीएसटी मामला ।</u>

<u>संदर्भ :- वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए बजट अनुदान ।</u>

चालू वित्त वर्ष में चूंकि भा.रे.वि.नि द्वारा वित्तपोषित व्यय को पूरा करने के लिए कोई बजटीय आबंटन नहीं है, क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन इकाइयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय रेलों के मौजूदा वेंडर मौजूदा संविदाओं के लिए भा.रे. बिल दें। विगत में भी, भारतीय रेलें ठेकेदारों से स्वीकृत बजटीय आबंटनों की धन उपलब्धता के आधार पर अपने बीजक तैयार करने का अनुरोध करती रही हैं।

भा.रे.वि.नि ने हाल ही में, अपने ईमेल संदेश के माध्यम से यह बताया है कि कई ऐसे मामले हैं जहां वेंडरों द्वारा ऐसे बीजक बनाए गए हैं जो भा.रे.वि.नि के नाम पर हैं और भा.रे.वि.नि जीएसटी प्रत्यय-पत्र का प्रयोग कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप भारतीय रेल को संभावित राजस्व हानि हो सकती है। ये बीजक भा.रे.वि.नि के जीएसटीआर-2ए/2बी में दिखाई दे रहे हैं।

अतः, क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां तत्काल समीक्षा करें और भा.रे.वि.नि के नाम पर एक क्रेडिट नोट प्राप्त करने हेतु तुरंत कार्रवाई करें तथा साथ ही भा.रे. के नाम पर एक संशोधित बीजक

तैयार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जीएसटी भा.रे. के जीएसटी पोर्टल पर भरा हुआ है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है कि भा.रे. द्वारा किए गए सभी प्रापण का बिल वेंडरों द्वारा भा.रे. के जीएसटी प्रत्यय-पत्र का प्रयोग करते हुए केवल संबंधित बिल स्वीकृति प्राधिकारियों के नाम पर ही हों, ताकि भा.रे. समय-समय पर उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त करती रहे।

इस पर अनुपालन दिनांक 25 अगस्त, 2023 तक सूचित किया जाए।

इसे "अति आवश्यक" समझा जाए।

(विपुल त्रिपाठी)
निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड